CHAPTER V

STATE HUMAN RIGHTS COMMISSIONS

21. Constitution of State Human Rights Commissions

(1) A State Government may constitute a body to be known as the ..... (name of the State) Human Rights Commission to exercise the powers conferred upon, and to perform the functions assigned to, a State Commission under this chapter.

[1][(2) The State Commission shall, with effect from such date as the State Government may by notification specify, consist of—

(a) a Chairperson who has been a Chief Justice of a High Court;

(b) one Member who is, or has been, a Judge of a High Court or District Judge in the State with a minimum of seven years experience as District Judge;

(c) one Member to be appointed from amongst persons having knowledge of, or practical experience in, matters relating to human rights.]

(3) There shall be a Secretary who shall be the Chief Executive Officer of the State Commission and shall exercise such powers and discharge such functions of the State Commission as it may delegate to him.

(4) The headquarters of the State Commission shall be at such place as the State Government may, by notification, specify.

(5) A State Commission may inquire into violation of human rights only in respect of matters relatable to any of the entries enumerated in List II and List III in the Seventh Schedule to the Constitution:

---

[1] Subs. by Act 43 of 2006 s.12, for sub section (2) (w.e.f. 23.11.2006).

अध्याय V

राज्य मानव अधिकार आयोग

21. राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन

(1) कोई राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन कर सकेगी जिसका नाम ..... (राज्य का नाम) मानव अधिकार आयोग होगा।

[1][(2) राज्य आयोग ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:–

(क) एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है;

(ख) एक सदस्य, जो किसी उच्च का न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव है;

(ग) एक सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।]

(3) एक सचिव होगा, जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो राज्य आयोग उसे प्रत्यायोजित करे।

(4) राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(5) कोई राज्य आयोग केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और सूची III में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों के बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जांच कर सकेगा:

---

[1] 2006 के अ.सं. 43 की धारा 12 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

Provided that if any such matter is already being inquired into by the Commission or any other Commission duly constituted under any law for the time being in force, the State Commission shall not inquire into the said matter:

Provided further that in relation to the Jammu and Kashmir Human Rights Commission, this sub-section shall have effect as if for the words and figures "List II and List III in the Seventh Schedule to the Constitution", the words and figures "List III in the Seventh Schedule to the Constitution as applicable to the State of Jammu and Kashmir and in respect of matters in relation to which the Legislature of that State has power to make laws" had been substituted.

[1][(6) Two or more State Governments may, with the consent of a Chairperson or Member of a State Commission, appoint such Chairperson or, as the case may be, such Member of another State Commission simultaneously if such Chairperson or Member consents to such appointment:

Provided that every appointment made under this sub-section shall be made after obtaining the recommendations of the Committee referred to in sub-section(1) of section 22 in respect of the State for which a common Chairperson or Member, or both, as the case may be, is to be appointed.]

22. Appointment of Chairperson and [2][Members] of State Commission

(1) The Chairperson and [2][Members] shall be appointed by the Governor by warrant under his hand and seal:

Provided that every appointment under this sub-section shall be made after obtaining the recommendation of a Committee consisting of

(a) the Chief Minister — Chairperson

(b) Speaker of the Legislative Assembly — Member

---

[1] Subs. by Act 43 of 2006 s.12, (w.e.f. 23.11.2006).

[2] Subs. by s.13, ibid, for "other members" (w.e.f. 23.11.2006).

परन्तु यदि किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से ही जांच की जा रही है तो राज्य आयोग उक्त विषय के बारे में जांच नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि जम्मू–कश्मीर मानव अधिकार आयोग के संबंध में, यह उपधारा ऐसे प्रभावी होगी मानो "केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और सूची III में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयो की बाबत" शब्द और अंकों के स्थान पर "जम्मू–कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत और उन विषयों की बाबत जिनके संबंध में उस राज्य के विधान–मंडल को विधियां बनाने की शक्ति हैं" शब्द और अंक रख दिए हों।

[1][(6) दो या दो से अधिक राज्य सरकारें, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को साथ–साथ अन्य अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेगी यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता है:

परन्तु उस राज्य की बाबत जिसके लिए, यथास्थिति, सामान्य अध्यक्ष या सदस्य या दोनों नियुक्त किए जाने हैं इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति धारा 22 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी।]

22. राज्य आयोग के अध्यक्ष और [2][सदस्यों] की नियुक्ति

(1) राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों[2] को नियुक्त करेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:–

(क) मुख्य मंत्री – अध्यक्ष

(ख) विधान सभा का अध्यक्ष – सदस्य

---

1 2006 के अ.स. 48 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

2 2006 के अ.स. 48 की धारा 13 द्वारा "अन्य सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(c) Minister in-charge of the Department of Home, in that State — Member

(d) Leader of the Opposition in the Legislative Assembly — Member

Provided further that where there is a Legislative Council in a State, the Chairman of that Council and the Leader of the Opposition in that Council shall also be members of the Committee.

Provided also that no sitting Judge of a High Court or a sitting District Judge shall be appointed except after consultation with the Chief Justice of the High Court of the concerned State.

(2) No appointment of a Chairperson or a Member of the State Commission shall be invalid merely by reason of [1][any vacancy of any Member in the Committee referred to in sub-section(1)].

[2][23. *Resignation and Removal of Chairperson or a Member of the State Commission]*

[3][(1) The Chairperson or a Member of a State Commission may, by notice in writing under his hand addressed to the Governor, resign his office

(1A) Subject to the provisions of sub-section (2), the Chairperson or any Member of the State Commission shall only be removed from his office by order of the President on the ground of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court, on a reference being made to it by the President, has, on inquiry held in accordance with the procedure prescribed in that behalf by the Supreme Court, reported that the Chairperson or such Member, as the case may be, ought on any such ground to be removed.]

(2) Notwithstanding anything in [4] [sub-section (1A)], the President may by order remove from office the Chairperson or any [5][Member] if the Chairperson or such [5][Member], as the case may be –

(a) is adjudged an insolvent; or

---

[1] Subs. by Act 43 of 2006 s.13, for " any vacancy in the Committee"

[2] Subs. by s.14, ibid, for " Removal of a member of the State Commission(w.e.f. 23.11.2006)

[3] Subs. by s.14, ibid, for sub section (I), (w.e.f. 23.11.2006)

[4] Subs. by s.14, ibid, for sub section (I) (w.e.f. 23.11.2006)

[5] Subs. by s.14, ibid, for " other member" (w.e.f. 23.11.2006)

(ग) उस राज्य के गृह विभाग का प्रभारी मंत्री – सदस्य

(घ) विधान सभा में विपक्ष का नेता – सदस्य

परन्तु यह और कि जहां किसी राज्य में विधान परिषद् है वहां उस परिषद् का सभापति और उस परिषद् में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे:

परन्तु यह और भी कि उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा अन्याथा, नहीं।

(2) राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि [1][उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में कोई रिक्ति है।]

23. [राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना][1]

[3][(1) राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित, सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(1क) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर वह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।]

(2) [4][उपधारा (1क)] में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई [5][सदस्य]:–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या

---

1 2006 के अ.सं. 43 की धारा 13 द्वारा "समिति में कोई रिक्ति है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 2006 के अ.सं. 43 की धारा 14 की उपधारा (i) द्वारा पार्श्व राज्य आयोग के सदस्य को हटाया जाना पर प्रतिस्थापित।

3 2006 के अ.सं. 43 की धारा 14 की उपधारा (i) द्वारा प्रतिस्थापित।

4 2006 के अ.सं. 43 की धारा 14 की उपधारा (i) द्वारा प्रतिस्थापित।

5 2006 के अ.सं. 43 द्वारा "अन्य सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(b) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(c) is unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or

(d) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(e) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the President involves moral turpitude.

[1][24. Term of office of Chairperson and Members of the State Commission

(1) A person appointed as Chairperson shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier;

(2) A person appointed as a Member shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for re-appointment for another term of five years;

Provided that no Member shall hold office after he has attained the age of seventy years.

(3) On ceasing to hold office, a Chairperson or a Member shall be ineligible for further employment under the Government of a State or under the Government of India.]

25. Member to act as Chairperson or to discharge his functions in certain circumstances

(1) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the Chairperson by reason of his death, resignation or otherwise, the Governor may, by notification, authorise one of the Members to act as the Chairperson until the appointment of a new Chairperson to fill such vacancy.

---

[1] Subs. by Act 43 of 2006 s.15, for section 24 (w.e.f. 23.11.2006)

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है; या

(ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(घ) विकृतचित का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; या

(ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है,

तो राष्ट्रति, अध्यक्ष या किसी (सदस्य)[1] को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा।

[1][24. राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि

(1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद न रह जाने पर, किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा।]

25. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन

(1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।

---

1 2006 के अ.सं. 43 की धारा 15 के खण्ड 24 द्वारा "अन्य सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

(2) When the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence on leave or otherwise, such one of the Members as the Governor may, by notification, authorise in this behalf, shall discharge the functions of the Chairperson until the date on which the Chairperson resumes his duties.

[1][***26. Terms and conditions of service of Chairperson and Members of the State Commissions***

The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of, the Chairperson and Members shall be such as may be prescribed by the State Government;

Provided that neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the Chairperson or a Member shall be varied to his disadvantage after his appointment.]

27. Officers and other staff of the State Commission

(1) The State Government shall make available to the Commission

(a) an officer not below the rank of a Secretary to the State Government who shall be the Secretary of the State Commission; and

(b) such police and investigative staff under an officer not below the rank of an Inspector General of Police and such other officers and staff as may be necessary for the efficient performance of the functions of the State Commission.

(2) subject to such rules as may be made by the State Government in this behalf, the State Commission may appoint such other addministrative, technical and scientific staff as it may consider necessary.

(3) The salaries, allowances and conditions of service of the officers and other staff appointed under sub-section (2) shall be such as may be prescribed by the State Government.

---

[1] Subs. by Act 43 of 2006, s.16, for section 26 (w.e.f. 23.11.2006)

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

[1][26. राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें

अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु अध्यक्ष अथवा सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।]

27. राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारीवृन्द

(1) राज्य सरकार, आयोग को–

(क) एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे न हो राज्य आयोग का सचिव होगा; और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारीवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारीवृन्द, जो राज्य आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो, उपलब्ध कराएगी।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, राज्य आयोग, ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारीवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो यह आवश्यक समझे।

(3) अपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

---

[1] 2006 के अ.सं. 43 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

28. Annual and special reports of State Commission

(1) The State Commission shall submit an annual report to the State Government and may at any time submit special reports on any matter which, in its opinion, is of such urgency or importance that it should not be deferred till submission of the annual report.

(2) The State Government shall cause the annual and special reports of the State Commission to be laid before each House of State Legislature where it consists of two Houses, or where such Legislature consists of one House, before that House along with a memorandum of action taken or proposed to be taken on the recommendations of the State Commission and the reasons for non-acceptance of the recommendations, if any.

29. Application of certain provisions relating to National Human Rights Commission to State Commissions

The provisions of sections 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 shall apply to a State Commission and shall have effect, subject to the following modifications, namely:-

(a) references to "Commission" shall be construed as references to "State Commission";

(b) in section 10, in sub-section (3), for the word "Secretary General", the word "Secretary" shall be substituted;

(c) in section 12, clause (f) shall be omitted;

(d) in section 17, in clause (i), the words "Central Government or any" shall be omitted;

28. राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें

(1) राज्य आयोग, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, जहां राज्य विधान–मंडल दो सदनों से मिलकर बनता है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां ऐसा विधान–मंडल एक सदन से मिलकर बनता है वहां उस सदन के सक्षम, रखवाएगी।

29. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबन्धों का राज्य आयोगों को लागू होना

धारा 9, धारा 10, धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15, धारा 16, धारा 17 और धारा 18 के उपबन्ध राज्य आयोग को लागू होंगे और वे निम्नलिखित रूपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्:–

(क) "आयोग" के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "राज्य आयोग" के प्रति निर्देश हैं;

(ख) धारा 10 की उपधारा (3) में, "महासचिव" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(ग) धारा 12 के खंड (च) का लोप किया जाएगा;

(घ) धारा 17 के खंड (i) में से "केन्द्रीय सरकार या किसी" शब्द का लोप किया जाएगा।

CHAPTER VI

HUMAN RIGHTS COURTS

30. For the purpose of providing speedy trial of offences arising out of violation of human rights, the State Government may, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification, specify for each district a Court of Session to be a Human Rights Court to try the said offences.

Provided that nothing in this section shall apply if

(a) a Court of Session is already specified as a special court; or

(b) a special court is already constituted, for such offences under any other law for the time being in force.

31. Special Public Prosecutor

For every Human Rights Court, the State Government shall, by notification, specify a Public Prosecutor or appoint an advocate who has been in practice as an advocate for not less than seven years, as a Special Public Prosecutor for the purpose of conducting cases in that Court.

अध्याय VI

मानव अधिकार न्यायालय

30. मानव अधिकार न्यायालय

मानव अधिकारों के उल्लंघन से उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी, जब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए –

(क) कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट है; या

(ख) उस समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत ऐसे अपराधों के लिए, कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है।

31. विशेष लोक अभियोजक

राज्य सरकार, प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि–व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलो के संचालन के प्रयोजन के लिए, विशेष लोक अभियोजनक के रूप में नियुक्त करेगी।

CHAPTER VII

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

32. Grants by the Central Government

(1) The Central Government shall after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the Central Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

33. Grants by the State Government

(1) The State Government shall, after due appropriation made by Legislature by law in this behalf, pay to the State Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.

(2) The State Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under Chapter V, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

34. Accounts and Audit

(1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The Accounts of the Commission shall be audited by the Comptroller and Auditor-General at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Comptroller and Auditor-General.

अध्याय VII

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

32. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान

(1) केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझें।

(2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो यह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएगी।

33. राज्य सरकार द्वारा अनुदान

(1) राज्य सरकार, विधान–मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझे।

(2) राज्य आयोग, अध्याय 5 के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में संदेय व्यय मानी जाएगी।

34. लेखा और संपरीक्षा

(1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, आयोग द्वारा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) The Comptroller and Auditor-General or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Commision under this Act shall have the same rights and privileges and the authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General generally has in connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Commission.

(4) The accounts of the Commission as certified by the Comptroller and Auditor-General or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government by the Commission and the Central Government shall cause the audit report to be laid as soon as may be after it is received before each House of Parliament.

35. Accounts and Audit of State Commission

(1) The State Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the State Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The accounts of the State Commission shall be audited by the Comptroller and Auditor-General at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the State Commission to the Comptroller and Auditor-General.

(3) The Comptroller and Auditor-General or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the State Commission under this Act shall have the same rights and privileges and the authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General generally has in connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the State Commission.

(3) नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज–पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यलय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित, आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और केन्द्रीय सरकार, ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

35. राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा

(1) राज्य आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे।

(2) राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, राज्य आयोग द्वारा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज–पत्र पेश किए जाने को मांग करने और राज्य आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) The accounts of the State Commission, as certified by the Comptroller and Auditor-General or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the State Government by the State Commission and the State Government shall cause the audit report to be laid, as soon as may be after it is received, before the State Legislature.

(4) नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्टें सहित, राज्य आयोग द्वारा, राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और राज्य सरकार, ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखवाएगी।